न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र

पीठासीन–**आबिद शमीम (HJS)**, जे0ओ0 कोड–6259

सेशन केस संख्या–873 सन् 2023 (मु0अ0सं0–183/2023)

राज्य बनाम नीरज जायसवाल

धारा–376, 328, 323, 506 भा0दं0सं0

थाना–ओबरा, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

20.11.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त की ओर से आज वकालतनामा दाखिल किया गया।

पत्रावली आज बहस आरोप हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी का सम्यक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

उभय पक्ष के तर्को को सुनने, केस डायरी व प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–376, 328, 323, 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित कर कार्यवाही अग्रसर किये जाने का आधार पर्याप्त है।

तद्नुसार अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पृथक पन्ने पर विरचित किया गया। विरचित आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक–11.12.2023 को पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

(आबिद शमीम),

अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),

(सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र

पीठासीन–**आबिद शमीम (HJS)**, जे0ओ0 कोड–6259

सेशन केस संख्या–873 सन् 2023 (मु0अ0सं0–183/2023)

राज्य बनाम नीरज जायसवाल

धारा–376, 328, 323, 506 भा0दं0सं0

थाना–ओबरा, जनपद सोनभद्र

–:आरोपः–

मैं, आबिद शमीम, अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) (सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र आप अभियुक्त **नीरज जायसवाल** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूॅः–

प्रथमः– यह कि दिनांक 08.08.2023 को समय लगभग 11:30 बजे रात बहद स्थान पीड़िता का घर स्थित डीह बाबा मन्दिर के पास खैरटिया, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र में आपने पीड़िता के घर में घुस कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा–376 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान में आपने पीड़िता को स्वेच्छया मार पीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा–323 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी/पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर उसे अभित्रस्त किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी/पीड़िता के साथ बलात्कार जैसा अपराध कारित करने के आशय से उसके पति को नशा करने वाली औषधि अथवा अस्वास्थ्यकर औषधि खिलाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा–328 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–20.11.2023

(आबिद शमीम),
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
(सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

दिनॉक 20.11.2023

(आबिद शमीम),
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0),
(सी0ए0डब्लू0), सोनभद्र